नीलामी की शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–2019 के लिये चाय, हलवाई, चाटफल आदि व फोटो स्टेट आदि के स्थान की नीलामी दिनांक 11–05–2018 को प्रातः 10:30 बजे जिला एवम् सत्र न्यायालय परिसर में स्थित तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। नीलामी के नियम तथा शर्ते इस प्रकार है–

1. पिछले वर्ष के बकायादार को नीलामी में भाग नही लेने दिया जायेगा।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 20 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी जोकि पिछले वर्ष 2017–2018 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. बोली जिसके नाम छूटेगी उसे तत्काल ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, और उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्रों की अपेक्षानुसार एग्रीमेन्ट अपने व्यय पर निष्पादित करना होगा।
4. अधिक बोली दाता के पक्ष में ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा तत्काल सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति स्वविवेकानुसार अधिकतम बोली के उपरान्त भी बोली बोलने वाले के पक्ष में बोली स्वीकृत कर सकती है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गयी बोली की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी गयी अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा नहीं की गई तो उसकी सिक्योरटी–मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. सभी वर्तमान विक्रेतागण को नीलामी की शर्तो के अनुरूप बोली में भाग लेने का अधिकार रहेगा।
7. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा देय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
8. नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान से अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
10. पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेचेगें इस सम्बन्ध में उन्हें एक अन्डरटेकिंग देनी होगी।
11. ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे वह खाद्य अपमिश्रित एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।
12. खाद्य वस्तुओं का विक्रय करने वाले दुकानदार वैध कनेक्शन द्वारा एल.पी.जी. गैस का प्रयोग करेंगे और किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तथा अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध रखेगें।
13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

14. ठेका शर्तों के उल्लघंन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार/दुकानदार को अविलम्ब दुकान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा अन्यथा दुकानदार/ठेकेदार के खर्चे पर खाली कराकर कब्जा लिया जावेगा और दुकान पुनः नीलामी/आवंटन योग्य होगा।

15. दुकानदार विक्रय की जाने वाली वस्तु की सूची व मूल्य प्रदर्शित करेंगे तथा खुले व कटे खाद्य पदार्थो की बिक्री नहीं करेंगे।

16. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तब उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवम् उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

17. ठेके की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को दुकान खाली कर कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का दायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

19. कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के गत्ते/प्लास्टिक के गिलास एवं बर्तनों का प्रयोग नही करेगा।

20. नीलामी प्रक्रिया में दुकान का ठेका स्वीकृत हो जाने पर बोलीदाता को ठेका राशि की 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तुरन्त करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान 07 दिन के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमानत की जमा धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

21. सभी दुकानदारों को अपने नाम में विधिक रूप से विद्युत कनैक्शन लेना होगा। जिसका उन्हें नियमित मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान के संबंध में सूचना यथासमय नजारत अनुभाग में देनी होगी।

22. किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के आगे वाहन इत्यादि को खड़ा नहीं कराया जायेगा।

23. किसी भी दुकानदार द्वारा दुकानों में अनावश्यक रूप से तोड़–फोड़ नहीं की जायेगी।

(विनय कुमार द्विवेदी) सदस्य/नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0), जनपद न्यायालय, मेरठ।	(अब्दुल शाहिद) सदस्य/नीलामी समिति/ अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–3, मेरठ।	(मानवेन्द्र सिंह) अध्यक्ष/नीलामी समिति अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–2, मेरठ।

Approved
20.04.2018